इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165] भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 अप्रैल 2015—वैशाख 7, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. 2270-119-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१५.

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१५.

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २७ अप्रैल २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् १९५९ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा १६५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १६५ में, उपधारा (४) में, द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाए.

भोपाल :
तारीख : २३ अप्रैल, सन् २०१५.

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. 2271-119-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 of 2015

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 27th April, 2015.]

Promulgated by the Governor in the Sixty-sixth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2015. **Short title.**

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Sections 3. **Madhya Pradesh Act No. 20 of 1959 to be temporarily amended.**

3. In Section 165 of the principal Act, in sub-section (4), second proviso shall be omitted. **Amendment of Section 165.**

Bhopal :
Dated : the 23rd April 2015.

RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.